तटस्थ उध्दरण
2021: CGHC:11303

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका सं0 7689/2010

मेसर्स सबेरा संकेत, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ .... **याचिकाकर्ता**

बनाम

01. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़
02. प्रवर्तन अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ
03. कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
स्कोप मीनार, द्वितीय कोर, चतुर्थ तल, लक्ष्मी नगर,
जिला केन्द्र, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली 110092 .... **उत्तरवादी**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री एच0बी0 अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ
कुमारी रूचि द्विवेदी अधिवक्ता
उत्तरवादी/क0भ0नि0 विभाग की ओर से : श्री सुनील पिल्लई, अधिवक्ता

माननीय श्री पी0सैम0 कौशी, न्यायाधीश
बोर्ड पर आदेश

23/06/2021

01. कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण के द्वारा प्रकरण सं.एटी.ए.सं. 207(8) 2000 में पारित आदेश दिनांक 17/08/2010 से व्यथित होकर यह वर्तमान रिट–याचिका दायर किया गया। उक्त आदेश के तहत अपीलीय अधिकरण ने कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरण द्वारा 7–ए की कार्यवाही में पारित आदेश की पुष्टि किया है। वर्तमान रिट याचिका का मुख्य विषय याचिकाकर्ता के संस्था को मेसर्स सबेरा मुद्रक के साथ ई.पी.एफ अधिनियम के तहत व्याप्ति के उददेश्य से संयोजित किया जाना है।

02. वर्तमान रिट याचिका के न्याय निर्णयन हेतु प्रकरण के आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता की संस्था जो कि सबेरा संकेत के नाम से दैनिक हिन्दी समाचार पत्र के प्रकाशन के व्यवसाय में है, वह लालबाग, राजनंदगांव से संचालित हो रही थी। कर्मचारी भविष्य निधि संघठन के कार्यालय द्वारा दिनांक 31/01/1995 को ई.पी.एफ अधिनियम की धारा 7–ए के तहत याचिकाकर्ता को आदेशिका जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया कि

(अनुलग्नक–1) उनका संस्था ई.पी.एफ अधिनियम के तहत क्यों नहीं व्याप्त होना चाहिये। उत्तरवादीगण के द्वारा उक्त आदेशिका का जवाब जमा किया गया। तत्काल उक्त आदेशिका के प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता के द्वारा रिट याचिका डवलु.पी.सं. 2121/1995 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष पेश कयिा गया। रिट याचिका अंततः 06/03/1996 को निराकृत किया गया, जिसे द्वारा उच्च न्यायालय ने (याचिकाकर्ता को जारी किये गये आदेशिका में हस्तक्षेप नहीं किया) जांच में भाग लेने की अनुमति प्रदान करते हुए तथा याचिकाकर्ता के उक्त कार्यवाहियों के परिणाम को चुनौती के अधिकार को सुरक्षित रखा।

03. तत्पश्चात, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, रायपुर के द्वारा यह कहते हुए आदेश पारित किया गया कि मेसर्स सबेरा संकेत जो कि याचिकाकर्ता की संस्था है तथा मेसर्स सबेरा प्रिंटर्स, मिलकर एक पूर्ण एकीकृत प्रतिष्ठान गठित करें तथा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, रायपुर का आदेश दिनांक 13.10.1999 था। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, रायपुर के उक्त आदेश दिनांक 13/10/1999 के विरूद्ध (याचिकाकर्ता के द्वारा) ई.पी.एफ अधिनियम की धारा 7–(आई) के तहत ई.पी.एफ. अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया। अपीलीय प्राधिकारी जो कि अपीलीय अधिकरण भी प्रदर्श पी–05 के विवादित आदेश दिनांक 17/08/2010 के द्वारा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, रायपुर के आदेश दिनांक 13/10/1997 की पुष्टि किया, जिसके कारण वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

04. याचिकाकर्ता के द्वारा दोनों विवादित आदेशों को चुनौती देने का मुख्य आधार यह है कि दोनों संस्थाओं के मध्य कोई अन्योन्याश्रय नहीं है और दोनों संस्थाएं हर प्रकार से दो पृथक–पृथक संस्थाएं है, इसलिए उत्तरवादी की ओर से दोनों संस्थाओं को एक साथ संयोजित करना गैर कानूनी एवं मनमाना है। याचिकाकर्ता के अनुसार, दोनों संस्थाओं का कार्य पृथक प्रकृति का है तथा पृथक स्वामित्व का है, इसलिए दोनों संस्थाओं को संयोजित किया जाना अनुपयुक्त है तथा इसे रद्द किया जाना चाहिए।

05. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के द्वारा इस तथ्य पर बल दिया गया कि ई.पी.एफ. प्राधिकारियों एवं अपीलीय प्राधिकारी के द्वारा भी जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे ई.पी.एफ. कानून के संदर्भ में नहीं थे, इसलिए उक्त निर्णयों में निर्धारित अनुपात को ई.पी.एफ. अधिनियम के तहत एक संस्था को दूसरे संस्था के साथ संयोजित कर व्याप्त करने के उद्देश्य से लागू नहीं किया जा सकता है, विशेषकर जब दोनों के मध्य कोई व्यवसायिक संबंध न हो।

06. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क किया गया था कि प्राधिकरण एवं न्यायाधिकरण द्वारा पारित दोनों आदेशों को इस कारण भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होंगे कि दोनों संस्थाएं जो कि ''सबेरा संकेत'' और ''सबेरा प्रिन्टर्स'' आवश्यक तत्वों की पूर्ति नहीं करते है, जो कि ई.पी.एफ. अधिनियम

1952 की धारा 2–ए के तहत अपेक्षित है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तरवादी की संस्था उस परीक्षण को संतुष्ट करने में विफल रही है जो अन्यथा यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक है कि क्या उक्त दोनों संस्थाओं को ई.पी.एफ. अधिनियम के तहत व्याप्ति के उद्देश्य से एक संस्था कहा जा सकता है, और उक्त दोनों विवादित आदेशों को रद्द किये जाने हेतु प्रार्थना किया गया और याचिकाकर्ता की संस्था को ई.पी.एफ. अधिनियम के तहत व्याप्ति से बाहर रखा जावे।

07. इसके विपरीत, ई.पी.एफ. विभाग की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता की ओर से इस न्यायालय का ध्यान दो आदेशों की ओर आकर्षित किया गया, जिसमें एक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, रायपुर तथा दूसरा अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उसी की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत किया गया, यह स्पष्ट किया गया कि दोनों संस्थाएं ''सबेरा संकेत'' एवं ''सबेरा प्रिन्टर्स'' इस कारण से संयोजित किये जाने के दायित्वधीन है कि प्रथमतः, एक समय में पूरा व्यवसाय एक ही नाम ''सबेरा संकेत'' के द्वारा चलाया जा रहा था। इसके पश्चात, ''सबेरा संकेत'' संस्था की स्थापना हुई और प्रारंभ में ये दो फर्म एक ही स्वामी जो कि शरद कोठारी के नाम पर थी, और उसके पश्चात ''सबेरा प्रिन्टर्स'' उक्त फर्म के पूर्व स्वामी शरद कोठारी के पुत्रों के हाथों में आ गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

08. दुसरा तथ्य, जिस पर ई.पी.एफ. संघठन के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया गया, वह यह है कि उक्त दोनो संस्थाए एक ही परिसर से चलाए जा रहे है। इन दोनो ही फर्मो को एक ही परिवार के सदस्यों के द्वारा चलाया जा रहा है। उत्तरवादीगण की ओर से यह भी तर्क था कि सबेरा संकेत के मुद्रण का कार्य सबेरा प्रिंटर्स में किया जा रहा था और ये कुछ ऐसे तथ्य है जो दोनो संस्थाओं के परस्पर निर्भरता को दर्शित करते है और यह तथ्य कि दोनों संस्थाए आपस में जुडे हुए है,अतः यह ई.पी.एफ. अधिनियम की धारा 2–ए के तहत अन्यथा अपेक्षित परिक्षण को पुर्ण करता है।

09. ई.पी.एफ. संघठन के अधिवक्ता के अनुसार, क्षेत्रीय भविष्य निधि कर्मचारी आयुक्त के द्वारा अपने आदेश दिनांक 13/10/1999 (अनुलग्नक पी/3) में दिये गये निष्कर्षो पर विचार करने से पता चलता है , कि यह निष्कर्ष स्वयं याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर आधारित निष्कर्षो को उजागर करती है। उक्त कथित तथ्यों के निष्कर्ष अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष किये एक अपील में आगे जांच के अधीन किया गया है और अपीलीय प्राधिकरण के द्वारा अपील पर कारण बताते हुये निर्णीत कर आदेश की पुष्टि की गई,अब उच्च न्यायालय द्वारा अपने रिट क्षेत्राधिकार को प्रयोग करने की सीमा न्युनतम हो गयी है। इसके अतिरिक्त, उत्तरवादीगण के अधिवक्ता के अनुसार, रिट याचिका की अंतर्वस्तु को सामान्य रुप से पढने पर भी किसी भी प्रकार से यह दर्शित नही होता है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि कर्मचारी आयुक्त के द्वारा नियमों के विपरीत या विरुद्ध या अभिलेख में मौजुद साक्ष्यों के विपरीत निष्कर्ष दिये है। इस आधार पर भी उत्तरवादीगण के अधिवक्ता के द्वारा रिट याचिका को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

10. दोनो पक्षों की ओर से पेश किये गये तर्को से, मुख्य मुददा जो निर्धारण के लिये आवश्यक है कि क्या एक ही परिवार के भीतर विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों को एक ही संस्था का अर्थ लगाया जा सकता है। इसलिये इस समय यहां धारा 2–ए का संदर्भ देना सुसंगत होगा, जो एक ही संस्था के सभी विभागों एवं शाखाओं को एक ही संस्था में सम्मिलित करने का व्यवहार करती है। तैयार संदर्भ के लिए धारा 2–ए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> ''2–ए. सभी विभागों और शाखाओं को सम्मिलित करने हेतु संस्था.
>
> संदेहो को दुर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जहां किसी संस्था में विभिन्न विभाग या शाखाए है, चाहे वह एक ही जगहों या भिन्न स्थानों पर हों, सभी विभाग और शाखाए एक ही संस्था का हिस्सा माना जाएगा।''

11. इस समय उस निर्णय का भी संदर्भ लेना सार्थक होगा, जिस पर क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त और अपीलीय न्यायाधिकरण ने ''द एसोसिएट सीमेंट कम्पनी लिमिडेट, चाईबासा सीमेंट वर्कस, झींकपानी बनाम देयर वर्क मैन'' में विश्वास किया, जो कि ए.आई.आर. 1960 सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट किया गया था। उक्त प्रकरण में भी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अतंर्गत समान मुद्दो इसी प्रकार से निपटारा करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना किः

> **''11– अधिनियम में 'एक संस्था क्या है यह निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट परीक्षण उल्लेखित नहीं किया गया है, हमें ऐसे विचारों पर वापस लौटना होगा जो सामान्य औद्य ोगिक या व्यावसायिक अर्थो में औद्योगिक स्थापना की एकता को निर्धारित करते है, अधिनियम की योजना और उद्देश्य पर और खान अधिनियम,1952, या कारखाना अधिनियम, 1948, के अन्य सुसंगत प्रावधानो पर संदेह न रखते हुए। तब सामान्य औद्योगिक या व्यावसायिक अर्थो में ''एक स्थापना''का अर्थ क्या है? एकता या एकात्मकता का प्रश्न तब समस्याएं दर्शित करती है जब औद्योगिक स्थापना में भाग, इकाईयां, विभाग, शाखाएं सम्मिलित होते है। यदि यह एक ईकाई एवं एक स्थान होने के अर्थो में कठोरतम रूप से एकात्मक है, तब यह कहने में कम कठिनाई है कि वह एक स्थापना है। तथापि, जहां औद्योगिक संस्थान के भिन्न–भिन्न स्थानों पर भाग, शाखा, विभाग, इकाईयां इत्यादि होती है, चाहे वह निकट हो या दूर, तब प्रश्न यह उठता है कि 'एक स्थापना' को गठित करने के लिए क्या परीक्षण लागू किये जाने चाहिए। हमारे समक्ष तर्क के दौरान विभिन्न परीक्षण निर्दिष्ट किये गये थे, जैसे कि भौगोलिक निकटता, स्वामित्व की एकता, प्रबंधन और नियंत्रण, रोजगार की एकता और सेवा की स्थिति, कार्यात्मक समाकलन, उद्देश्य की सामान्य एकता इत्यादि। इनमें से अधिकांश का उल्लेख हमने श्री डोंगरे के साक्ष्य और न्यायाधिकरण के निष्कर्षों का सारांश देते समय किया है। सभी प्रकरणों के लिए एक ही परीक्षण को पूर्ण और अपरीवर्ती परीक्षण के रूप में निर्धारित करना**

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शायद असंभव है। इन परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य भागों, शाखाओं और इकाईयों के बीच सही संबंधों को ढूढंना है। यदि उनके वास्तविक संबंधों में वे एक पूरा एकीकृत संस्था का गठन करते है, हम कहते है कि वह स्थापना एक है; यदि इसके विपरीत वे पूरे एक एकीकृत को गठित नहीं करते है तब प्रत्येक इकाई एक अलग इकाई है। इकाईयों के बीच संबंध को कैसे निर्णित किया जाये यह प्रमाणित किये गये तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, कानून की योजना और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो रोजगार मुआवजे का अधिकार देता है और इसके लिए अयोग्यता भी निर्धारित करता है। इसलिए एक प्रकरण में स्वामित्व की एकता, प्रबंधन और नियंत्रण महत्वपूर्ण परीक्षण हो सकता है; अन्य प्रकरण में कार्यात्मक समाकलन या सामान्य एकता महत्वपूर्ण परीक्षण हो सकता है; फिर भी, अन्य प्रकरण में रोजगार की एकता एक महत्वपूर्ण परीक्षण हो सकता है। वास्तव में, कई प्रकरणों में एक ही समय पर कई परीक्षण पर विचार किया जा सकता है; उक्त परीक्षणों को लागू करने में आधुनिक औद्यौगिक संगठन की जटिलताओं के कारण कठिनाई उत्पन्न होती हैः कई उद्यमों में अलग–अलग स्वामित्व वाले कारखानों के बीच कार्यात्मक समाकलन हो सकता है; कुछ आंशिक रूप से समान स्वामित्व वाली इकाईयों या कारखानों के साथ और आंशिक रूप से, स्वतंत्र रूप से स्वामित्व वाली कारखानों या संयत्रों के साथ एकीकृत हो सकते है। इन सभी जटिलताओं के बीच एकता के वास्तविक सूत्र को खोजना मुश्किल हो सकता है। एक अमेरीकी निर्णय (डोनाल्ड एल नार्डलिंग बनाम फोर्ड मोटर कम्पनी, (1950) 28 ए.एल.आर. 2डी 272) एक औद्यौगिक पदार्थ का उदाहरण है जिसमें 3,800 या 4,000 भाग है, जिसमें से 900 एक संयंत्र से आते है; कुछ एक ही स्वामित्व वाले अन्य संयंत्रों से आये है और कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से स्वामित्व वाले संयत्रों से आये है और किसी भी संयंत्र में हडताल या अन्य श्रमिक विवाद के कारण बंद होने से संभवतः मुख्य संयंत्र या कारखाना को बंद करना पड सकता है।"

12. प्रकरण के उपरोक्त वास्तविक आव्यूह से, अब इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या "सबेरा संकेत" और "सबेरा प्रिन्टर्स" एक स्थापना के रूप संयोजित किया जा सकता है या नहीं, यह निर्धारित करते समय परीक्षण की कसौटी पर उतरना होगा। यहां यह विचार किया जाने की आवश्यकता है कि क्या भौगोलिक निकटता, स्वामित्व की एकता, प्रबंधन नियंत्रण, रोजगार की एकता, कार्यात्मक अखण्डता, इत्यादि है। यदि स्थापना उपरोक्त लिखित परीक्षणों को पूर्ण करता है, तो ई.पी.एफ. संगठन के द्वारा दिया गया निष्कर्ष तथा जिसे बाद में अपीलीय न्यायाधिकरण के द्वारा पुष्ट किया गया है, हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "नूर निवास नर्सरी पब्लिक स्कूल बनाम क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त एवं अन्य" (2001) 1एस.सी.सी.1, के मामले में पैराग्राफ नम्बर 5 में समान मुद्दे का निर्धारण करते हुए पुनः निम्नानुसार निर्धारण किया:

> **"5– वर्तमान प्रकरण में, जब दो इकाईया एक–दूसरे से नजदीक स्थित हो और वहां केवल दो शिक्षक, एक आया, एक क्लर्क और एक चपरासी है, तब यह विश्वास किये जाने योग्य नहीं है कि 30 स्कूल चलाने वाले सोसायटी के द्वारा इतने कर्मचारियों के साथ एक अलग स्कूल चलाएगी। यदि अपीलार्थी के स्कूल की एक इकाई फ्रांसिस गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल के इकाई का भाग नहीं है, तब हेड कल्र्क, श्रीमती वधावन अपीलकर्ता स्कूल के असाधारण कब्जे में नहीं हो सकती थी और जब निरीक्षक के द्वारा कोड नम्बर देने के लिए स्कूल की जांच किये जाने पर असाधारण कब्जे में नहीं हो सकती थी। अविवादित रूप से, दोनों इकाईयां एक ही सोसायटी के द्वारा चलाई जा रही है तथा वह एक और समान पत्ते में ही स्थित है, जिससे भौगोलिक निकटता स्थापित होती है और श्रीमती पी. वधावन से निरीक्षक के द्वारा जांच के दौरान प्रतिपरीक्षण करने से कुछ भी सार्थक नहीं मिला। भविष्यनिधि आयुक्त के समक्ष श्रीमती पी. वधावन की जांच नहीं की गई थी। ये सभी तथ्य स्पष्ट रूप से एक कारण की ओर इशारा करते है कि दो इकाईयां मिलकर एक पृथक स्थापना का गठन करती है। आखिरकार अपीलार्थी स्कूल नर्सरी कक्षाओं को पूरा करता है, जबकि कुछ कक्षाएं फ्रांसिस गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल में उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार, दोनों के मध्य संबंधों से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रकरण की परिस्थितियों एवं तथ्यों में, हम मानते है कि भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा इस परिपेक्ष्य में लिया गया दृष्टिकोण, जिसे उच्च न्यायालय के द्वारा पुष्ट किया गया है, सही है।**

14. बाम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ के द्वारा दिनांक 07.07.2011 को डब्लू पी. संख्या 5672/2010 में "सहायक भविष्य निधि आयुक्त बनाम ए.सी.सी. निहान कास्टिंग लिमिटेड" के पैराग्राफ नम्बर 16 एवं 17 में दिये गये फैसले में निम्नानुसार माना:

> **"16. उपरोक्त के आलोक में, यह मानने के लिए कि दो या अधिक इकाईयां एक ही स्थापना का भाग और खण्ड है, कौन सा प्रमुख और वास्तविक परीक्षण अपनाया जाना चाहिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। सभी मामलों में यह आवश्यक नहीं है कि प्रमुख परीक्षण एक कार्यात्मक समाकलन का होगा। जहां स्वीकृत स्थिति यह है कि कोई कार्यात्मक समाकलन नहीं है या स्वामित्व की एकता है, प्रबंध एवं नियंत्रण की एकता, अर्थव्यवस्था की एकता, श्रम की एकता और रोजगार की एकता, का पृथक परीक्षण अधिक महत्व प्राप्त करेंगे। न्यायालय को यह भी पता लगाना होगा कि क्या नियोक्ता के द्वारा वर्तमान व्यवसाय को भिन्न नाम के अधीन विस्तार किया गया है या क्या उसने दो इकाईयों को भिन्न या समाकलित माना है, इसके अलावा इस धारा को जिस प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, उसके उद्देश्य और प्रयोजन को भी ध्यान में रखना होगा।**
>
> **न्यायालय को सावधानी से आगे बढना चाहिए और परस्पर विरोधी हितों में संतुलन रखना होगा। यह करते समय, यह देखा जाना चाहिए कि न तो वास्तविक और असली इकाईयों को छूट से वंचित किया जाए और न**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ही ऐसी छूट अपात्र और अयोग्य इकाईयों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

17. XXXXXXXXXXXXXXXXX. ई.पी.एफ. अधिनियम की धारा 16(1) (डी) के अधीन छूट के प्रावधान की व्याख्या करते समय, न्यायालय को यह ध्यान में रखना होगा कि यह सामाजिक कल्याण कानून का एक लाभकारी हिस्सा है जिसका उद्‌देश्य कर्मचारियों की भलाई को सुरक्षित करना है और बढावा देना है और न्यायालय संकीर्ण व्याख्या को नहीं अपना सकता है, जिसका प्रभाव अधिनियम के प्रयोजन और उद्‌देश्य को पराजित करने का होगा। यह ई.पी.एफ. अधिनियम की धारा 16(1) (डी) के तहत निर्धारित प्रथम अवस्था के अधिकार का प्रश्न है, जो कि कठोरता से प्राथमिक अवस्था के उद्योग या इकाई के लिए उपलब्ध है। यह प्रत्येक ऐसे प्रतिष्ठान या इकाई के जीवनकाल के लिए केवल एक बार उपलब्ध है और यह विभिन्न स्तर में बार–बार नहीं लिया जा सकता है।

18. यदि एक नया स्थापित इकाई या उद्योग किसी अन्य इकाई या उद्योग के व्यावसाय का एक अभिन्न अंग या विस्तार मात्र है, जो पहले से ही स्थापित है, और ऐसे छूट के लाभ को अपने स्थापना के समय प्राप्त किया है, तब ऐसे नये स्थापित इकाई या उद्योग ई.पी.एफ. अधिनियम की धारा 16(1) (डी) के तहत पात्र नहीं होंगे। यदि ऐसे उद्योग को लाभ प्रदान किया गया, तब वह न केवल छूट प्रदान करने के उद्‌देश्य को विफल करेगा, बल्कि एक ही स्थापना को बार–बार ऐसा लाभ देने के बराबर होगा, जो कानून द्वारा अभिप्रेत नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इस समय यह और भी प्रासंगिक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा " सयाजी मिल्स लिमिडेट बनाम क्षेत्रीय कर्मचारी निधि आयुक्त ए.आई.आर. 1985 सुप्रीम कोर्ट 323, के मामले में दिये गये निर्णय का संदर्भ लिया जाये, जिसमें पैराग्राफ संख्या 5 में ई.पी.एफ. अधिनियम के निर्माण का कारण और उद्‌देश्य का उल्लेख करते हुए निर्णय दिया गया है–

"5. सबसे पहले यह कहा जाना चाहिए कि कारखानों और प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लाभ के लिए भविष्य निधि की संस्था के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियम को लागू किया है। संविधान के अनुच्छेद 43 में राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन या किसी अन्य तरीके से सभी श्रमिकों, कृषि, औद्योगिक या अन्य के लिए काम की ऐसी स्थितियां सुनिश्चित करने का प्रयास करें, जिससे जीवन का एक सभ्य मानक और अवकाश का पूरा आनंद सुनिश्चित हो। भविष्य निधि योजना का प्रावधान कर्मचारियों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करने और उन्हें सेवानिवृत्ति के समय या उससे पहले, यदि आवश्यक हो तो उनके खाते में जमा भविष्य निधि राशि में से उनके उपयोग के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने के लिए है, जो नियोक्ताओं और संबंधित कर्मचारियों द्वारा किये गये अंशदान से बनी होती है। इसलिए, अधिनियम की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि जिस उद्‌देश्य से इसे पारित किया गया है, उसे आगे बढाया जा सके। कोई भी निर्माण जो अधिनियम के प्रावधानों से बचने में मदद करेगा, जहां तक संभव हो, उससे बचा जाना चाहिए, प्रासंगिक अवधी के द्वारा अधिनियम की धारा 1(3) ने घोषित किया कि इसकी धारा 16 के अधीन रहते हुए, यह प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जो अनुसूची 1 में निर्दिष्ट उद्योग में लगा हुआ कारखाना है जिसमें 50 या अधिक व्यक्ति कार्यरत है।अधिनियम की धारा 16 का भौतिक भाग, जैसा कि प्रासंगिक समय पर था, सीमांत नोट के साथ इस प्रकार है: –

तटस्थ उध्दरण
2021: CGHC:11303

"16, अधिनियम का सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण के कारखानों और प्रथम अवस्था के कारखानों पर लागू न होना– एफ (1) यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा–

(क) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित कोई कारखानाः और

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात स्थापित कोई अन्य कारखाना, जब तक कि उसकी स्थापना को तीन वर्ष न बीत गये हो।

स्पष्टीकरणः– शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी कारखाना की स्थापना की तारीख केवल कारखाने के परिसर में परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं मानी जायेगी।"

16. उपरोक्त सभी कानूनी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा ई.पी.एफ. अधिनियम के अधिनियमन के पीछे के कारणों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त रायपुर के विवादित आदेश को सामान्य रूप से पढने पर यह पता चलता है कि यहां पर्याप्त सामग्रियां है, जिसके आधार पर यह विनिश्चित किया जा सकता है कि यहां स्वामित्व की एकता थी, कार्यात्मक अखण्डता थी और दोनों स्थापनाओं के मध्य अन्योन्याश्रितता भी थी।

17. ई.पी.एफ. संगठन के समक्ष याचिकाकर्ता के अभिवचनों से यह स्थापित होता है कि दोनों स्थापनाएं एक ही परिवार के सदस्यों के द्वारा धारण किया जाता था। दूसरा तथ्य, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वह यह है कि प्रारंभ में सम्पूर्ण व्यावसाय एक ही इकाई थी, जहां प्रकाशन एवं मुद्रण दोनों ही सबेरा संकेत के नाम से ही किये जाते थे। यह बहुत बाद में हुआ कि मुद्रण का काम सबेरा प्रिन्टर्स के अधीन दिया गया। दूसरा तथ्य, जिस पर विचार किये जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि प्रारंभ में उक्त दोनों फर्मो के मालिक भी एक ही थे, अर्थात शरद कोठारी। जब सबेरा प्रिन्टर्स फर्म की स्थापना हुई थी, शरद कोठारी तब भी भागीदारों में से एक थे और वह उक्त भागीदारी से बहुत बाद में सेवानिवृत्त हुए। इससे ही दोनों स्थापनाओं के स्वामित्व में एकता स्थापित होती है, दूसरा तथ्य, जिस विचार किये जाने की आवश्यकता है यह है कि यद्यपि सबेरा संकेत समाचार पत्र प्रकाशन के व्यावसाय में है, किन्तु समाचार पत्रों की छपाई सहित उनका पूरा मुद्रण कार्य सबेरा प्रिन्टर्स में ही होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों स्थापना एक ही परिसर से चल रहे है। दोनों पक्षों के बीच में यह भागीदारी सबेरा प्रिन्टर्स के स्थापना के समय से ही है जो यह दर्शित करता है कि यह परिवार के भीतर समान व्यावसाय का विस्तार या विस्तार मात्र है।

18. आयुक्त के समक्ष अभिलेख पर लाये गये तथ्यों पर आधारित अभिवचनों के आधार पर उपरोक्त सभी निष्कर्षो के बावजूद, इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के द्वारा विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई मजबूत आधार प्राप्त नहीं होता है, यह रीट याचिका गुण–दोष पर आधारित है और इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है। परिव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/–
(पी. सैम कोशी)
जज

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur